वित्तीय स्वीकृति

संख्या-24/2016/1102/52-3-16-बजट(8)/2016

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□/कार्यपालक अधिकारी,
□0प्र0 राज्य हज समिति
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अ□□□□-3, □□□□: दिनांक 7 अप्रैल, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रान्तीय हज समिति को मद संख्या-31-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□□) □□ □□□ 20-□□□□□□ □□□□-सामान्य (□□□ □□□) में वित्तीय स्वीकृति। (आयोजनेत्तर)

□□□□,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(3□□-व्ययक) □□0□-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/□□-1-746/□□-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 के प्रस्तर-2(9), □ 2(10) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार तथा गत वित्तीय वर्ष में व्यय धनराशि को दृष्टिगत रखते हुये उ0प्र0 राज्य हज समिति तु चालू वित्तीय वर्ष में प्रान्तीय हज समिति के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 01,50,00,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप 0 70,00,000/- (रू0 सत्तर लाख मात्र) तथा वेतनादि के अतिरिक्त अन्य व्ययों को वहन करने हेतु 20 □□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□□) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 55,00,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 27,50,000/-(रू0 सत्ताइस लाख पचास हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 97,50,000/- (रू0 सत्तानवें लाख पचास हजार मा) निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन स्वीकृत कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया □□□□□

(2) वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) वेतन मद में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/ उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को 31.12.2016 □□ □□□ □□□□□ □□□□□ (गैर वेतन मद में) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30.09.2016 उपलब्ध कराया जायेगा। प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(4) □□□□□ □□ □□□□ (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य □□□□/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) धनराशि के व्यय में वित्त विभाग द्वारा निर्गत मितव्यता संबंधी आदेशों का विधिवत पालन किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक 2250-अन्य समाजिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03 प्रान्तीय हज समिति को अनुदान-20-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□□)/31-□□□□□ □□□□- सामान्य (□□□) के नामें डाला जायेगा।

1- □□ □□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्य□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यहा आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/□□-1-746/□□-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□

संख्या-1102(1)/52-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- □□□□□□□□ (लेखा परीक्ष) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□
2- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□
3- मुख्य कोषाधिकारी, केस□□□□, □□□□□
4- कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 □□□□□
5- □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0, □□□□
6- रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□ □□□, □□□□□
7- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
8- कम्प्यूटर आपरेटर, अल्पसंख्यक कल्याण अ□ 0-3 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेब साइड पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा □□

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यक□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्य□□□ नहीं □□□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।